न्यायालय : उ

पीठासीन अ

प्रकरण सं0 : 169/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र उदयराम जाति जाट तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज. : वादी
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : प्रतिवादी
निर्णय दिनांक : 13·8·18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीबीपुर के खसरा नं. 231/104 की कुल 1.137 हैक्टर भूमि वर्तमान में रामकुमार पुत्र उदयराम जाति जाट साकिन भिरानी के नाम खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि में से 0.379 हैक्टर भूमि को बिना कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवायें ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लिय गया है। वर्तमान में उक्त ईन्ट भट्टा बन्द है। रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है।

खसरा सं. 231/104 की कुल 1.137 हैक्टर खातेदारी भूमि के 0.379 हैक्टर हो रहे गैर कृषक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लघंन किया है।

कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निमार्ण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नही। प्रतिवादी द्वारा खसरा नं. 231/104 की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है।

विवादित कृषि भूमि को खातेदारों द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नही आता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही कर उक्त भूमि सिवाय चक भूमि घोषित की जावे ताकि कोई अन्य खातेदार भी इस प्रकार की कृत्य न कर सके व कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने पर रोक लग सके।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामील उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि रोही ग्राम बीबीपुर के खसरा सं. 231/104 की कुल 1.137 हैक्टर भूमि को बिना किस्म परिवर्तित करवाये ही ईन्ट भटटा लगाकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य के रूप में काम लेते हुए व्यवसायकि/ओद्योगिक काम में लेने के कारण वाद उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करवाने का अधिकारी है? —वादी

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में सुरेश कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं. 21 भादरा हाल पटवारी शेरड़ा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चक ग्राम बीबीपुर खाता संख्या 80/103 सम्वत 2068—71 प्रदर्श 1, नकल खसरा सं. 231/104 प्रदर्श 2, प्रदर्शित करवाये।

बहस राज पैराकार सुनी गई। अपनी बहस में पैरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से खातेदार काश्तकार रामकुमार के विरूद्ध वाद कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में 2 तनकीयात कायम की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार काश्तकार ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

वादी ने प्रतिवादी रामकुार के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी वादभूमि में अकृषि कार्य बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के कर रहा है जो नियम विरूद्ध है, तथा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है सक्षम न्यायालय है।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि खातेदार काश्तकार प्रतिवादी रामकुमार ने कुल कृषि भूमि मे से 0.379 है0 का ईंट भट्टा लगाकर अकृषि कार्यो में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश,लाईसेंस, परमिट के किया है। अतः अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चुंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित नही आकर वादी के हस्तगत वाद का कोई खण्डन नही

अतः वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम बीबीपुर के खसरा सं. 231/104 की कुल 1.137 हैक्टर भूमि में से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही 0.379 हैक्टर कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 169/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र उदयराम जाति जाट तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी पैराकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम बीबीपुर के खसरा सं. 231/104 की कुल 1.137 हैक्टर है0 कृषि भूमि मे से अकृषि कार्य प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही 0.379 हैक्टर कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....13.8.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़